

1.	विभाग-	बाल विकास सेवा एवं पुष्ठाहार
2.	योजना का नाम -	आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पोषाहार का वितरण
3.	योजना की संक्षिप्त टिप्पणी-	आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पंजीकृत लाभार्थी वर्ग जैसे 06 माह से 03 वर्ष के बच्चे, 03 से 06 वर्ष के बच्चे, गर्भवती एवं धात्री महिलाएं, किशोरी बालिकाओं को शासन/निदेशालय द्वारा निर्गत मात्रा के अनुसार पोषाहार का वितरण ग्राम में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र पर किया जाता है।
4.	पात्रता की अर्हता-	सम्बन्धित ग्राम का निवासी व आंगनबाड़ी केन्द्र पर पंजीकरण
5.	आवेदन की प्रक्रिया-	उपरोक्तानुसार।
6.	लिंक वेबसाईट	http://www.icdsupweb.org/hindi/
7.	सम्पर्क सूत्र	अन्य जानकारी हेतु सम्बन्धित क्षेत्र के बाल विकास परियोजना अधिकारी अथवा जनपद के जिला कार्यक्रम अधिकारी से सम्पर्क किया जा सकता है।